

एनएचपीसी लिमिटेड
पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	चुटक पॉवर स्टेशन (44 मेगा वॉट)
2	परियोजना की किस्म	जलविद्युत परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	<p>सं. J-12011/61/2001-IA-I, दिनांक 17.11.2005 और शुद्धि-पत्र दिनांक 22.11.2005 तथा 19.12.2005</p> <p>परियोजना के निर्माण में वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है; इसलिए वन संबंधी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.06.2004 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।</p>
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	<p>कारगिल केंद्र शासित प्रदेश – लद्दाख 34° 27' उ. 76° 05' पू.</p>
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	<p>महाप्रबंधक (विद्युत)/ परियोजना प्रमुख चुटक पॉवर स्टेशन, ग्राम मिनजी, कारगिल (केंद्र शासित प्रदेश – लद्दाख), पिन: 194 103 दूरभाष नं: 01985-233709 फैक्स नं.: 01985-233689</p> <p>कार्यपालक निदेशक, पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद-121 003 दूरभाष नं. 0129-2254674 ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in</p>

6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	परियोजना में निम्नलिखित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं :																																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">क्रम सं.</th> <th style="text-align: center;">पर्यावरण प्रबंधन योजना</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">धनराशि,(लाख रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना</td><td style="text-align: center;">192.85</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>वनीकरण</td><td style="text-align: center;">17.12</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना</td><td style="text-align: center;">173.3</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>जैवविविधता संरक्षण योजना</td><td style="text-align: center;">68.60</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>जलाशय रिम उपचार, हरित पट्टी और भूनिर्माण योजना</td><td style="text-align: center;">78.60</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td><td>बाँड़ो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार योजना</td><td style="text-align: center;">25.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td><td>मलबा निपटान योजना</td><td style="text-align: center;">55.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</td><td style="text-align: center;">27.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td><td>मात्स्यकी का विकास योजना</td><td style="text-align: center;">94.70</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td><td>ईंधन व्यवस्था योजना</td><td style="text-align: center;">20.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td><td>स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना</td><td style="text-align: center;">55.40</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td><td>आपदा प्रबंधन योजना</td><td style="text-align: center;">33.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td><td>पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम</td><td style="text-align: center;">30.00</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">कुल</td><td style="text-align: right;">870.57</td></tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	धनराशि,(लाख रुपये में)	1	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	192.85	2	वनीकरण	17.12	3	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	173.3	4	जैवविविधता संरक्षण योजना	68.60	5	जलाशय रिम उपचार, हरित पट्टी और भूनिर्माण योजना	78.60	6	बाँड़ो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार योजना	25.00	7	मलबा निपटान योजना	55.00	8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27.00	9	मात्स्यकी का विकास योजना	94.70	10	ईंधन व्यवस्था योजना	20.00	11	स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना	55.40	12	आपदा प्रबंधन योजना	33.00	13	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	30.00		कुल	870.57
क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	धनराशि,(लाख रुपये में)																																													
1	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	192.85																																													
2	वनीकरण	17.12																																													
3	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	173.3																																													
4	जैवविविधता संरक्षण योजना	68.60																																													
5	जलाशय रिम उपचार, हरित पट्टी और भूनिर्माण योजना	78.60																																													
6	बाँड़ो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार योजना	25.00																																													
7	मलबा निपटान योजना	55.00																																													
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27.00																																													
9	मात्स्यकी का विकास योजना	94.70																																													
10	ईंधन व्यवस्था योजना	20.00																																													
11	स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना	55.40																																													
12	आपदा प्रबंधन योजना	33.00																																													
13	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	30.00																																													
	कुल	870.57																																													
7	<p>परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)</p> <p>क) जलमग्न क्षेत्रः (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)</p> <p>ख) अन्य</p>	<p>जलमग्न क्षेत्रः</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>वन भूमि</td> <td>: शून्य</td> </tr> <tr> <td>सरकारी भूमि</td> <td>: 2.18 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>निजी भूमि</td> <td>: 2.63 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>कुल (क)</td> <td>: 4.81 हैक्टेयर</td> </tr> </table> <p>अन्य</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>वन भूमि</td> <td>: शून्य</td> </tr> <tr> <td>सरकारी भूमि</td> <td>: 44.57 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>निजी भूमि</td> <td>: 15.94 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>JKPDC से स्थानान्तरित</td> <td>: 3.99 हैक्टेयर भूमि</td> </tr> <tr> <td>PDD दुवारा पट्टे पर</td> <td>: 0.4375 हैक्टेयर (99 वर्ष के लिए)</td> </tr> <tr> <td>कुल (ख)</td> <td>: 64.9375 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>कुल जोड़ (क) + (ख)</td> <td>: 69.7475 हैक्टेयर</td> </tr> </table>	वन भूमि	: शून्य	सरकारी भूमि	: 2.18 हैक्टेयर	निजी भूमि	: 2.63 हैक्टेयर	कुल (क)	: 4.81 हैक्टेयर	वन भूमि	: शून्य	सरकारी भूमि	: 44.57 हैक्टेयर	निजी भूमि	: 15.94 हैक्टेयर	JKPDC से स्थानान्तरित	: 3.99 हैक्टेयर भूमि	PDD दुवारा पट्टे पर	: 0.4375 हैक्टेयर (99 वर्ष के लिए)	कुल (ख)	: 64.9375 हैक्टेयर	कुल जोड़ (क) + (ख)	: 69.7475 हैक्टेयर																							
वन भूमि	: शून्य																																														
सरकारी भूमि	: 2.18 हैक्टेयर																																														
निजी भूमि	: 2.63 हैक्टेयर																																														
कुल (क)	: 4.81 हैक्टेयर																																														
वन भूमि	: शून्य																																														
सरकारी भूमि	: 44.57 हैक्टेयर																																														
निजी भूमि	: 15.94 हैक्टेयर																																														
JKPDC से स्थानान्तरित	: 3.99 हैक्टेयर भूमि																																														
PDD दुवारा पट्टे पर	: 0.4375 हैक्टेयर (99 वर्ष के लिए)																																														
कुल (ख)	: 64.9375 हैक्टेयर																																														
कुल जोड़ (क) + (ख)	: 69.7475 हैक्टेयर																																														

8	<p>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण</p> <p>क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य</p>	श्रेणी			संख्या																																																																		
		क्रम																																																																					
		1	जिन परिवारों ने घर और भूमि, दोनों खोई हैं	0																																																																			
		2	जिन परिवारों ने आंशिक रूप से केवल भूमि खोई हैं	130																																																																			
		3	जिन परिवारों ने पूर्ण रूप से भूमि खो दी है	02																																																																			
		4	जिन परिवारों ने घर खो दिया है	0																																																																			
5 आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों कि संख्या			33																																																																				
कुल				165																																																																			
<p>क) 165 परिवार अनु.ज.ज. के हैं। ख) कोई नहीं।</p>																																																																							
9	<p>वित्तीय ब्यौरा</p> <p>क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष</p> <p>ख) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन</p> <p>ग) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</p> <p>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</p>	<p>क) 893.76 करोड़ रुपए (IDC और FC के 33.26 करोड़ रुपए मिला के), जुलाई 2010 मूल्य स्तर पर। सीसीईए दुवारा अनुमोदित पारित लागत 621.26 करोड़ रुपए IDC के साथ।</p> <p>ख) रुपए 715.00 लाख रुपये</p> <p>ग) रुपए 868.87 करोड़ रुपए सितंबर, 2021 तक</p> <p>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ खर्च</p>																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>पर्यावरण प्रबंधन योजना</th> <th>धनराशि, (लाख रुपये में)</th> <th>मार्च, 2023 तक खर्च (लाख रु. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना</td><td>192.85</td><td>244.47</td></tr> <tr> <td>2</td><td>वनीकरण</td><td>17.12</td><td>28.01</td></tr> <tr> <td>3</td><td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार</td><td>173.3</td><td>365.627</td></tr> <tr> <td>4</td><td>जैवविविधता संरक्षण</td><td>68.60</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>जलाशय रिम उपचार, हरित पट्टी और भूनिर्माण</td><td>78.60</td><td>38.38</td></tr> <tr> <td>6</td><td>बॉरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार</td><td>25.00</td><td>-</td></tr> <tr> <td>7</td><td>मलबा निपटान योजना</td><td>55.00</td><td>11.70</td></tr> <tr> <td>8</td><td>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</td><td>27.00</td><td>10.50</td></tr> <tr> <td>9</td><td>मात्स्यकी का विकास</td><td>94.70</td><td>180.00</td></tr> <tr> <td>10</td><td>ईंधन व्यवस्था</td><td>20.00</td><td>16.09</td></tr> <tr> <td>11</td><td>स्वास्थ्य और स्वच्छता</td><td>55.40</td><td>19.96</td></tr> <tr> <td>12</td><td>आपदा प्रबंधन</td><td>33.00</td><td>-</td></tr> <tr> <td>13</td><td>पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम</td><td>30.00</td><td>4.11</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">कुल जोड़</td><td>870.57</td><td>918.847</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">सीईए द्वारा पुनरीक्षित संशोधित लागत</td><td>715.00</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	धनराशि, (लाख रुपये में)	मार्च, 2023 तक खर्च (लाख रु. में)	1	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	192.85	244.47	2	वनीकरण	17.12	28.01	3	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	173.3	365.627	4	जैवविविधता संरक्षण	68.60	-	5	जलाशय रिम उपचार, हरित पट्टी और भूनिर्माण	78.60	38.38	6	बॉरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार	25.00	-	7	मलबा निपटान योजना	55.00	11.70	8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27.00	10.50	9	मात्स्यकी का विकास	94.70	180.00	10	ईंधन व्यवस्था	20.00	16.09	11	स्वास्थ्य और स्वच्छता	55.40	19.96	12	आपदा प्रबंधन	33.00	-	13	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	30.00	4.11	कुल जोड़			870.57	918.847		सीईए द्वारा पुनरीक्षित संशोधित लागत			715.00	
क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना	धनराशि, (लाख रुपये में)	मार्च, 2023 तक खर्च (लाख रु. में)																																																																				
1	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	192.85	244.47																																																																				
2	वनीकरण	17.12	28.01																																																																				
3	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	173.3	365.627																																																																				
4	जैवविविधता संरक्षण	68.60	-																																																																				
5	जलाशय रिम उपचार, हरित पट्टी और भूनिर्माण	78.60	38.38																																																																				
6	बॉरो पिट्स और खदान स्थलों का पुनरुद्धार	25.00	-																																																																				
7	मलबा निपटान योजना	55.00	11.70																																																																				
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27.00	10.50																																																																				
9	मात्स्यकी का विकास	94.70	180.00																																																																				
10	ईंधन व्यवस्था	20.00	16.09																																																																				
11	स्वास्थ्य और स्वच्छता	55.40	19.96																																																																				
12	आपदा प्रबंधन	33.00	-																																																																				
13	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	30.00	4.11																																																																				
कुल जोड़			870.57	918.847																																																																			
सीईए द्वारा पुनरीक्षित संशोधित लागत			715.00		-																																																																		

10	<p>वन भूमि की आवश्यकताएं</p> <p>क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति</p> <p>ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</p>	<p>क) शून्य परियोजना के निर्माण में कोई वन भूमि शामिल नहीं है, इसलिए वन संबंधी स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.06.2004 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया था।</p> <p>ख) लागू नहीं।</p>
11	<p>निर्माण की स्थिति</p> <p>क) आरम्भ करने की तारीख</p> <p>ख) पूरा होने की तारीख</p>	<p>क) नवम्बर, 2005</p> <p>ख) जनवरी, 2013</p>
12	<p>विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है</p>	<p>लागू नहीं।</p>
13	<p>स्थल के दौरों का ब्यौरा</p> <p>क) मानीटरिंग समिति द्वारा</p> <p>ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा</p>	<p>क) निगरानी समिति की</p> <p>पहली बैठक 22 अगस्त, 2007 को, दूसरी बैठक 10 दिसम्बर 2013 को तीसरी बैठक 22 मई 2018 को हुई थी।</p> <p>ख) क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ से अधिकारियों ने भी निगरानी समिति की बैठकों में भाग लिया।</p>
14	<p>पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट।</p>	<p>संलग्नक-1 के रूप में संलग्न।</p>

संलग्नक-।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पत्र संख्या जे-12011/6/2001-आईए-1, दिनांक 17.11.2005 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति :

भाग क: विशिष्ट शर्तें:

<u>क्र. स.</u>	<u>विशिष्ट शर्तें</u>	<u>अनुपालन की स्थिति</u>
I.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है। ये सभी कार्य निर्माण-पूर्व कार्यकलापों के साथ और निर्माण-कार्यों के समरूप आरम्भ किए जाने होंगे ।	<p>जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के तहत रु. 365.627 लाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर के वन विभाग, कारगिल को दी गई है जिसका उपयोग किया जा चुका है।</p> <p>डिविजनल वन अधिकारी, कारगिल द्वारा प्रस्तुत निधि उपयोग रिपोर्ट के अनुसार, पत्र दिनांक 23.04.2020 द्वारा वन विभाग को वर्ष 2019-20 के लिए ₹50 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी, जिसमें से ₹ 44.95 लाख रुपये का उपयोग दिनांक 30.09.2021 तक किया जा चुका है। उपरोक्त के अलावा, शेष राशि का उपयोग रिपोर्ट (प्रमाण पत्र) प्रदान करने के लिए दिनांक 09.11.2022 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया है तथापि, उपयोग की गई कुल निधि की समेकित रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।</p>
II.	अत्यधिक पर्यवेक्षण के अधीन हल्के बारूद और हल्के विस्फोटकों के साथ नियंत्रित विस्फोट किए जाने चाहिए। उपयोग किए जाने वाले प्रति डिले विस्फोटक की मात्रा इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर सूचित की जानी चाहिए ।	परियोजना कमीशन हो चुकी है। अब कोई विस्फोटक अभियान नहीं किया जा रहा है।
III.	क्षेत्र की जैवविविधता के संरक्षण के लिए, संरक्षण योजना, जैसीकि पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम (पृष्ठ 4.1 से 4.10) में सुझाई गई है, सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वित की जानी चाहिए ।	पीसीसीएफ द्वारा 26-08-2013 को जारी आदेश संख्या के तहत एक विशिष्ट सेल बनाया गया है। विशिष्ट सेल की पहली बैठक 10.12.2013 को श्रीनगर में हुई जिसमें कार्य कार्यान्वन पर चर्चा की गई। डा. सुरिन्दर कुमार, निदेशक (एस), पर्यावरण व वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2014 को बैठक हुई जिसमें स्थान के मसले को लेकर विचार विमर्श हुआ और यह निर्देशित किया गया कि स्थान के मसले को आपसी विमर्श एवं सहमति से सुलझाया जायेगा। तत्पश्चात मामले की चर्चा डीएफओ, कारगिल के साथ की गई और उन्होंने आश्वस्त किया की इस मसले को जल्द ही सुलझा लिया जायेगा। एनएचपीसी ने पत्र दिनांक 30.04.2018 एवं

		01.04.2022 के द्वारा डीएफओ, कारगिल से जैव विविधिता पार्क के लिए लागत और प्रस्ताव की मांग की है जिससे की आवश्यक निधि का प्रबंध किया जा सके। मामले की चर्चा डीएफओ, कारगिल के साथ भी की गयी जिससे जैव विविधिता पार्क के विकास के लिए प्रस्ताव जमा किया जाए। हालांकि, डीएफओ, कारगिल से प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है।
IV.	खोदे गए अप्रयुक्त मलबे को एडिट-1, एडिट-2 तथा ग्राम चुटक के निकट पहचान किए गए केवल नई स्थलों पर फेंका जाना चाहिए। खुदाई से निकले मलबे को ढलान के पास फेंका जाएगा। ढलनों को बेंचों और चबूतरों में विकसित किया जाना चाहिए।	ईएमपी के अनुसार निर्देशित डंपिंग क्षेत्रों में ही मलबे का निपटारा किया गया है। एडिट -II के निकट वन विभाग द्वारा अल्फ़ा अल्फ़ा के बीजों को बोया गया है। पॉवर हाउस के निकट के मलबा निपटान स्थल को पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया है।
V.	परियोजना के निर्माण के लिए भूमि/वृक्षों आदि के अधिग्रहण से 8 गांवों के लगभग 93 परिवार प्रभावित होंगे जिनमें से केवल 2 परिवार भूमिहीन हो जाएंगे। परियोजना से प्रभावित हुए व्यक्तियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज एनपीआरआर-2003 से कम नहीं होना चाहिए।	अनुपालन किया जा रहा है। भूमि के जाने से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ कर 165 हो गई है। राज्य सरकार ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए 192.85 लाख रुपये की मंजूरी दी है, जिसके एवज में प्रभावितों की संख्या बढ़ने की वजह से 244.47 लाख रुपए जिला प्रशासन को परियोजना द्वारा दिए जा चुके हैं।

भाग ख: सामान्य शर्तें

क्र. स.	सामान्य शर्तें	अनुपालन की स्थिति
I.	निर्माण-कार्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके।	परियोजना कमीशन हो चुकी है और कोई भी श्रमिक साइट पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं।
II.	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी/एलपीजी) मुहैया करने के लिए ईंधन डिपो खोला जाना चाहिए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं भी मुहैया की जानी चाहिए।	परियोजना के आसपास राज्य सरकार का एक ईंधन डिपो है। निर्माण चरण के दौरान मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा और मनोरंजक सुविधाएं मुहैया कराई गईं। हालांकि, चूंकि प्रमुख सिविल कार्य खत्म हो गए हैं, इसलिए कोई मजदूर साइट पर स्थायी रूप से नहीं रहता है।
III.	निर्माण-कार्य में लगे सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से	शर्त का अनुपालन किया जा चुका है। परियोजना कमीशन हो चुकी है।

	उपचार किया जाना चाहिए।	
IV.	बांध स्थल पर खोदी गई सामग्रियों के फैकने के स्थल को समतल बनाकर, गड्ढों को भरकर और लैंडस्केपिंग आदि के द्वारा निर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनरोपण किया जाना चाहिए।	मलबा निपटान साइटों को बहाल और स्थिर किया जा चुका है।
V.	ऊपर सुझाए गए रक्षोपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं साथ ही उक्त के लिए परियोजना डीपीआर में प्रावधान भी किया जा चुका है।
VI.	पुनर्वास और पुनर्स्थापन के कार्यान्वयन के लिए एक मानीटरिंग समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें परियोजना से प्रभावित लोगों के अनु.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधि और एक महिला लाभ-भोगी होनी चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं। उप-आयुक्त, कारगिल ने दिनांक 17.10.2007 के द्वारा जारी कार्यालय आदेश के माध्यम से पुनर्वास और पुनर्स्थापना समिति का गठन किया गया है।
VII.	सुझाए गए रक्षोपायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं। दिनांक 14.08.2007 के कार्यालय आदेश द्वारा बहुविधा समिति गठन किया जा चुका है।
VIII.	मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को समीक्षा के लिए छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।	उर्जा-गृह कि छमाही प्रगति रिपोर्ट्स को नियमित रूप से मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को प्रस्तुत किया जाता है।

अन्य :-

i. **मात्स्यकी विकास योजना:** मात्स्यकी विकास योजना के रु. 94.70 लाख का प्रावधान ई एम पी में किया गया था तत्पश्चात वन व मात्स्यकी विभाग, जम्मू व कश्मीर ने योजना की सशोधित लागत रु. 180 लाख कर दिया। मात्स्यकी विकास सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए 180.04 लाख रुपए की राशि कमिश्नर व सेक्रेट्री, वन व मात्स्यकी को दी गयी है। मात्स्यकी विभाग ने फिश फार्म के निर्माण के लिए 27 कनाल 04 मरला सरकारी भूमि दम्साना में स्थित मत्स्य फार्म के पास 40 वर्षों के लिए लीज पर ली हैं। अगस्त, 2019 तक मत्स्य विभाग, लेह से रु.179.99 लाख रुपये के लिए फंड उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

ii. **मलजल एवं ठोस कूड़ा-करकट का निपटान:** सभी आवासीय क्षेत्रों में मलजल निपटान के लिए सेइक टैंक के साथ सोक पिट्स दिये गए। घरेलू कूड़ा-करकट को एकत्र करने हेतु कूड़ेदानों कि व्यवस्था कि गई हैं तथा ठोस अपशिष्ट के संग्रह एवं सुरक्षित निपटान हेतु श्रमिकों को लगाया गया हैं। इसके

अतिरिक्त आवासीय/ कार्यालय परिसर व पावर हाउस में एसटीपी लगवाने का काम प्रगति पर है जिनकी कमीशनिंग वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपेक्षित है।

iii. वनीकरण : परियोजना क्षेत्र के आसपास वनीकरण कार्यों के लिए आवंटित लागत ₹ 28.01 लाख में से ₹23.65 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इसके आलावा, परियोजना क्षेत्र के आसपास लगभग 7.57 हेक्टेयर बंजर भूमि में वनीकरण योजना के तहत फलदार पेड़ों को लगाया गया है। पावर स्टेशन पर समय-समय पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण भी किया जाता है।

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाएगा।